रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--21

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28062021-227934
CG-DL-W-28062021-227934

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26—जुलाई 2, 2021 (आषाढ़ 5, 1943)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26—JULY 2, 2021 (ASADHA 5, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	265
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	487
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2293
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1153
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	137
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1189
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	265
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	487
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence...........	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2293
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1153
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	137
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1189
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2021

सं. 10-5/2019-यू3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी के की सलाह से किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर दिनांक 16 दिसंबर 2008 को अपनी अधिसूचना सं. एफ. 9-54/2006-यू.3 के जरिए आई.सी.एफ.ए.आई. उच्च शिक्षा फाउण्डेशन, हैदराबाद (तेलंगाना) को सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी ने 11 जुलाई 2019 को बेंगलुरु में आई.सी.एफ.ए.आई. उच्च शिक्षा फाउण्डेशन (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद (तेलंगाना) का ऑफ-कैम्पस केंद्र शुरू करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को यू.जी.सी. (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम 2019 के अंतर्गत जांच एवं परामर्श हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अग्रेषित किया गया था।

4. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 10 जून 2020 के अपने पत्र सं. एफ.41-4/2019(सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि "आयोग ने यू.जी.सी. विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था और आई.सी.एफ.ए.आई. उच्च शिक्षा फाउण्डेशन (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद (तेलंगाना) को बेंगलुरु (कर्नाटक) में ऑफ-कैम्पस केंद्र शुरू करने की सिफारिश की थी।

5. अत: अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, केन्द्र सरकार एतद द्वारा आई.सी.एफ.ए.आई. उच्च शिक्षा फाउण्डेशन (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद (तेलंगाना) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बेंगलुरु में एक ऑफ-कैम्पस केंद्र शुरु करने की अनुमति प्रदान करती है।

6. यह अनुमति यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 और केन्द्र सरकार, यूजीसी और अन्य संविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी संगत मानकों/नियमों/विनियमों/निदेशों के अनुपालन के अध्याधीन है।

कामिनी चौहान रतन
संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(खाद्य एवं पोषण बोर्ड)

नई दिल्ली-01, दिनांक 16 जून 2021

सं. एनए 39/9/2020-पोषण प्रशासन—जबकि पोषण के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देने और त्वरित एवं प्रभावी ढंग से कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं पोषण बोर्ड का गठन 1964 में संकल्प संख्या 6(10)/63 टेक-I दिनांक 24.4.1964 के माध्यम से कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के अधीन केन्द्र सरकार के विभाग की सभी शक्तियों के साथ (वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, डायरी संख्या 2003-जेएस(एफएंडए)/64 दिनांक 20 मई ,1964) किया गया था।

जबकि खाद्य एवं पोषण बोर्ड का स्थानांतरण कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) से केन्द सरकार के विभाग के रूप में सभी शक्तियों के साथ 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) को कर दिया गया;

जबकि वर्तमान में खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) निम्नलिखित गतिविधियों का निष्पादन करता है:

i. 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाइयों (सीएफएनईयू) के माध्यम से पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने और प्रशिक्षण के लिए पोषण विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन करना;

ii. पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत स्वयं द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा आहरित चार प्रयोगशालाओं के माध्यम से संदर्भित खाद्य नमूनों की जांच करने की सेवाएं प्रदान करना; और

iii. विशेष रूप से पोषण नीति और आंगनवाड़ी सेवा योजना पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करना।

जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सीधे और राज्य सरकारों के माध्यम से शुरू किए गए कार्यों के तहत पोषण संबंधी जागरूकता और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं अतः खाद्य एवं पोषण बोर्ड के माध्यम से और इसकी सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाइयों (सीएफएनईयू) के माध्यम से इन कार्यों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आयुष की अवधारणाओं का एकीकरण करते हुए गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटी धारकों की भूमिका और जिम्मेदारी, खरीद प्रक्रिया और पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही के लिए 'पोषण ट्रैकर' के माध्यम से डेटा प्रबंधन और निगरानी पर सीडी-I-24/2/2021-यूएस दिनांक 13 जनवरी, 2021 के माध्यम से सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में एफएसएसएआई के स्वामित्व/पंजीकृत/पैनलबद्ध/एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं से नमूनों की जांच करने का भी प्रावधान किया गया है ताकि सुनिश्चित हो कि उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषण की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विहित मानकों को पूरा करती है। इस संबंध में इन दिशानिर्देशों में खाद्य एवं पोषण बोर्ड की किसी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है।

भोजन और टीएचआर (न कि कच्चा राशन) की जांच में वस्तुनिष्ठता,पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत वितरित खाद्यान के मानकों और गुणवत्ता की जांच से संबधित सभी कार्य एफएसएसएआई को सौंपे गए हैं और इस संबध में एफएनबी की कोई भूमिका नहीं है।

पोषण संबंधी नीतिगत सलाह से संबंधित कार्यों का निर्वहन मंत्रालय के 'पोषण-प्रभाग' द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में खाद्य एवं पोषण बोर्ड की किसी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एततद्वारा खाद्य एवं पोषण बोर्ड के सभी क्रियाकलाप तुरंत प्रभाव से बंद किए जाते हैं।

वर्तमान में एफएनबी द्वारा धारित परिसंपत्तियों का निपटान व्यय विभाग की सलाह से किया जाएगा।

इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

एस. के. तरूण
अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 6th June 2021

No. F.10-5/2019-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed-to-be-university.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide it Notification No. F. 9-54/2006-U.3 dated 16th December, 2008, on the advice of UGC, had delcared ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad (Telangana) as an Institution Deemed to be University.

3. And further whereas, ICFAI Society submitted an application on 11th July, 2019 for starting off-campus centre of ICFAI Foundation for Higher Education (Deemed to be University), Hyderabad (Telangana) at Bengaluru. The aplication was forwarded to UGC for examination and advice under UGC (Insitutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

4. And whereas, the UGC vide their letter No. F.41-4/2019(CPP-I/DU) dated 10th June 2020 communicated that "The Commission had considered the report of the UGC Expert Visiting Committee and recommended starting off campus centre at Bengaluru (Karnataka) by ICFAI Foundation for Higher Education (Deemed to be University), Hyderabad (Telangana)."

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit ICFAI Foundation for Higher Education (Deemed to be University), Hyderabad (Telangana) to start an Off-Campus Centre at Bengaluru, with effect from the issuance of this Notification.

6. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms/Rules/Regulations/Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

KAMINI CHAUHAN RATAN
Joint Secretary

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(FOOD AND NUTRITION BOARD)

New Delhi-01, the 16th June 2021

No. NA-39/9/2020-NUTRITION ADMN—Whereas the Food and Nutrition Board (FNB) was set up in 1964 vide Resolution No. 6(10)/63-Tech.I dated 24-4-1964 under the Ministry of Agriculture (Department of Food) with all powers of a Central Government Department [Ministry of Finance, Department of Expenditure, Dy. No. 2003-JS (F&A)/64 dated 20th May, 1964], in order to pay exclusive attention to the various connected problems in the field of Nutrition and draw up and implement programmes expeditiously and effectively.

Whereas the FNB was transferred from the Ministry of Agriculture (Department of Food) to the Ministry of Women and Child Development In 1993 with all powers of a Central Government Department;

Whereas the FNB at present performs the following activities:

i. conducts Nutrition Extension programmes for spreading nutritional awareness and for training through 43 Community Food & Nutrition Extension Units (CFNEUs) located in 30 States/UTs;

ii. provides services for testing of food samples drawn under Supplementary Nutritional Programme (SNP) either on its own or referred by the State Governments through four (4) laboratories and

iii. Provides technical support on Nutrition & Health related issues to the Ministry of Women and Child Development specifically on nutrition policy and the Anganwadi Services Scheme.

Whereas the work undertaken by the Ministry of WCD directly and through State governments takes up various activities in the area of nutritional awareness and training and there is no need for duplicating these functions through the Food and Nutrition Board through its Community Food and Nutrition Extension Units (CFNEUs).

Whereas the Ministry of Women and Child Development has issued streamlined guidelines vide No. CD-I-24/2/2021-US dated 13th January 2021 on Quality Assurance, Roles and Responsibilities of Duty Holders, procedure for procurement, Integrating AYUSH concepts and Data Management and Monitoring through ‘Poshan Tracker’ for transparency, efficiency and accountability in delivery of Supplementary Nutrition. These guidelines also provide for testing of samples from FSSAI owned/ registered/ empanelled/NABL accredited laboratories to ensure that the quality of Supplementary Nutrition being provided meets the standards laid down under the Food Safety and Standard Act, 2006. These guidelines do not visualize any role of the Food and Nutrition Board in this regard.

To ensure objectivity, transparency and independence in testing of meals and THR (not raw ration), all functions relating to testing of standards and quality of food distributed under Supplementary Nutrition Programme have been assigned to FSSAI and there is no role of FNB in this regard.

Nutrition related policy advisory functions shall be discharged by the Nutrition Division of the Ministry and no role is visualized for Food and Nutrition Board in this regard.

In view of the above, all operations of the Food and Nutrition Board are hereby closed with immediate effect.

Disposal of assets currently held by FNB, shall be made in consultation with Dept. of Expenditure.

Issued with the approval of the Competent Authority in the Ministry of Women and Child Development, Government of India.

S.K.TARUN
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR